

Early Hearing Application for Kirti

16/4

Adv. Ankesh Yadav <1mylawyer@gmail.com >

Tue, 24 Feb 2026 10:36:02 AM +0530

To "hearingcourts6.upic"<hearingcourts6.upic@up.gov.in>

**1 Attachment(s)**

Early Hearing .pdf

178.8 KB



सेवा में,  
श्रीमान् राज्य सूचना आयुक्त  
उ०प्र० प्रदेश राज्य सूचना आयोग  
लखनऊ

विषय : - द्वितीय अपील संख्या A-20251201233 और फाइल संख्या

S06/A/1236/2025 की अतिशीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र : -

महोदय/महोदया,

यह कि अपीलार्थिनी का निम्न निवेदन है।

1. यह कि अपीलार्थिनी कीर्ति ने छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा बी०एस०सी० की मार्कशीट में गलत नाम किरण (KIRAN) को सुधारकर कीर्ति (KIRTI) करने के संबंध में आरटीआई के माध्यम से सूचनाएं मांगी थी, जिसकी द्वितीय अपील माननीय आयोग के समक्ष लंबित है।
2. यह कि अपीलार्थिनी की मूल मार्कशीट लगभग 3 वर्ष से विश्वविद्यालय में जमा है, लेकिन अभी तक नाम में सुधार नहीं किया गया है, विश्वविद्यालय की लापरवाही के कारण पिछले 3 वर्षों से यह प्रकरण लंबित है।
3. यह कि अपीलार्थिनी के मामले में लगभग 3 वर्ष की प्रशासनिक देरी और अब अपील में लंबी तारीख मिलना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है। एक अपीलार्थिनी को उसकी सही मार्कशीट के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा करवाना उसके मौलिक अधिकारों का हनन है।
4. यह कि मार्कशीट में गलत नाम होने के कारण अपीलार्थिनी पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश लेने से वंचित है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार और सम्मान से जीने का अधिकार शामिल है। विश्वविद्यालय की यह निष्क्रियता अपीलार्थिनी के भविष्य और करियर को अंधकार में डाल रही है।
5. यह कि RTI अधिनियम का उद्देश्य सूचना का त्वरित निस्तारण है, चूंकि यह मामला अपीलार्थिनी के शैक्षणिक भविष्य और Life and Liberty के समान महत्व का है। अतः इसे सामान्य अपीलों की सूची से हटाकर विशेष श्रेणी में प्राथमिकता के आधार पर सुना जाना चाहिए।
6. यह कि उक्त अपील में पिछली तारीख 03.02.2026 को माननीय आयोग की पीठ उपलब्ध न होने के कारण अगली तारीख 16.04.2026 को दी गयी है, जो कि बहुत दूर है, वर्तमान में विभिन्न विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, यदि देरी से सुनवाई होती है, तो अपीलार्थिनी का एक और बहुमूल्य वर्ष बर्बाद हो जाएगा, जिसकी भरपाई भविष्य में संभव नहीं होगी।

D  
done &  
in 18/3/2026  
Kirti  
24/2/2026

Kirti

